राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(61)/ग्राविवि/ग्रुप–5/मैसन मिस्त्री/2015–16/पार्ट–V/ जयपुर, दिनांक 14 फरवरी 2019

श्री माधोराम,
राज्य निदेशक, RSETI, जयपुर

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत मैसन प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पादित कराये जाने के क्रम मे।

प्रसंग :– प्रोग्राम मेनेजर, RSETI उदयपुर से प्राप्त मेल दिनांक 13.2.19

संदर्भ :– विभागीय पत्र दिनांक 5.10.18 एवं 11.1.19

उपरोक्त मैसन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराने हेतु आवश्यक निर्देश/जानकारी पूर्व में भी संदर्भित विभागीय पत्रों द्वारा उपलब्ध करा दी गई है, जिसे आपके स्तर से एक बार पुनः सभी RSETI को पुनः उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावे। इसी क्रम में प्रोग्राम मेनेजर RSETI उदयपुर से मैसन प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत प्राप्त प्रासंगिक मेल में वर्णित बिन्दुओ के क्रम में मैसन प्रशिक्षण के संलग्न दिशा–निर्देशानुसार बिन्दूवार वस्तुस्थिति निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। :–

1. उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव राजस्थान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 26.6.18 के निर्णय संख्या 4 अनुसार मैसन प्रशिक्षण कार्यक्रम RSETI द्वारा आयोजित कराने का निर्णय लिया गया। उक्त संबंध में समय–समय पर विभागीय निर्देश/समीक्षा /सहयोग के उपरान्त भी उपलब्ध प्रगति /सूचना के अनुसार RSETI द्वारा CSDCI के यहां प्रशिक्षण प्रदाता के रूप मे 7 माह की अवधि उपरान्त भी आवेदन ही नहीं किया गया है। उक्त संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 21.1.19 में सलाहकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ विस्तृत चर्चा उपरान्त इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शीघ्र कार्यवाही बाबत सहयोग उपलब्ध कराने बाबत आपको आश्वस्त किया गया है। उक्त संबंध में सुविधाओं /उपकरणों आदि की जानकारी CSDCI की वेबसाईट पर उपलब्ध है एवं अन्य जानकारी हेतु श्री कमल छाबडा, सलाहकार, मैसन प्रशिक्षण, MoRD, नई दिल्ली से फोन पर सम्पर्क किया जा सकता है।

   अतः सभी RSETI को CSDCI के यहां प्रशिक्षण प्रदाता के रूप मे पंजीकृत की कार्यवाही प्राथमिकता से पूर्ण करावे।
2. दिशा निर्देशों में उपस्थिति दर्ज कराने हेतु बायोमैट्रिक उपस्थिति का वर्णन उपलब्ध नहीं है। यदि किसी RSETI के पास बायोमैट्रिक उपस्थिति की सुविधा उपलब्ध हो तो इसका उपयोग कर लिया जावे।
3. 10 दिवसीय एवं 45 दिवसीय प्रशिक्षण दोनो के लिए ही पाठ्यक्रम सामग्री जारी गाईडलाईन में उल्लेखित है एवं दोनो हेतु पाठ्यक्रम समान ही है। केवल अवधि का ही अंतर है।
4. मास्टर ट्रेनर उपलब्ध कराने का दायित्व RSETI स्वयं का है तत्काल आवश्यकता हेतु CSDCI की वेब साईट या IGPRS & GVS से सम्पर्क कर इस बाबत CSDCI

प्रमाणित मास्टर ट्रेनर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। CSDCI के दिशा –निर्देशानुसार मास्टर ट्रेनर उनके द्वारा मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है, अतः स्वयं के मास्टर ट्रेनर भी तैयार कराने की कार्यवाही भी आवश्यक रूप से कराई जावे।

5. ट्रेनिंग सामग्री संलग्न विभागीय पत्र दिनांक 5.10.18 अनुसार वेबसाईट iay.nic.in पर उपलब्ध है।
6. Assessments and certificate की प्रक्रिया प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रेषित गाईडलाईन के पृष्ठ संख्या 24 व 25 पर उपलब्ध है।
7. सभी RSETI Login Detail हेतु मोबाईल नम्बर व संबंधित अधिकारी का नाम Excel में उपलब्ध करावे। जब तक RSETI Login Password नहीं मिले तब तक यह कार्य जिला परिषद संबंधित/राज्य स्तर से विभाग द्वारा करवा दिया जावेगा। इस हेतु निर्धारित जानकारी संबंधित आवास प्रभारी जिला परिषद / स्टेट नोडल अधिकारी, PMAYG को pdengg_rdd@yahoo.com पर RSETI उपलब्ध करा देवे।
8. मैसन प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षण प्रदाता RSETI को देय भुगतान कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। यही दर राष्ट्रीय स्तर पर सभी संस्थानो को देय होती है वह देय होगी एवं दिशा निर्देशो के अनुसार 30 प्रतिशत राशि अग्रिम देय है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता मे आयोजित बैठक दिनांक 21.1.19 में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम को पुर्ण कराना सुनिश्चित करावे।

भवदीय,

(जयपाल सिंह मेडतिया)
स्टेट नोडल अधिकारी, PMAY-G

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. संयुक्त सचिव (RH), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. उप महा प्रबन्धक, (RH), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेज कर निवेदन है कि पत्र में उल्लेखित शंकाओ के कम में मार्गदर्शन प्रदान करने का श्रम करावे।
4. श्री एम.रामा कृष्णा, अवर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. श्री कमल छाबडा, कंसलटेन्ट, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. प्रोफेसर, इन्दिरा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, जयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।

अधीक्षण अभियंता, ग्रा.वि.